न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 27/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1राजकुमार सांखला पुत्र रामचन्द्र सांखला जाति माली निवासी बास शेखसर ताउसर तहसील व जिला नागौर। फर्म–मैसर्स आरसीएस मसाला, हाउसिंग बोर्ड ताउसर रोड, नागौर। 2हीरालाल सोलंकी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी जेठ का बास, चेनार तहसील व जिला नागौर। फर्म– मैसर्स आरसीएस मसाला, हाउसिंग बोर्ड ताउसर रोड, नागौर। 3फर्म– मैसर्स आरसीएस मसाला, हाउसिंग बोर्ड ताउसर रोड, नागौर।

आदेश दिनांक :18.11.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-11-2020 को मैसर्स आरसीएस मसाला, हाउसिंग बोर्ड ताउसर रोड, नागौर पर खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (आरसीएस ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1448 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 653/एक्ट/2020/295 दिनांक 08.12.2020 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना लालमिर्च पाउडर (आरसीएस ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण राजकुमार सांखला पुत्र रामचन्द्र सांखला जाति माली निवासी बास शेखसर ताउसर तहसील व जिला नागौर, हीरालाल सोलंकी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी जेठ का बास, चेनार तहसील व जिला नागौर तथा फर्म मैसर्स आरसीएस मसाला, हाउसिंग बोर्ड ताउसर रोड, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए.2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 31-03-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण दिनांक 12.8.2021 को न्यायालय मे उपस्थित हुए तथा बाद मे न्यायालय मे गैर हाजिर रहे है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 653/एक्ट/2020/295 दिनांक 8.12.20 के अनुसार खाद्य पदार्थ लालमिर्च पाउडर (आरसीएस ब्राण्ड) का नमूना Mis Branded होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी सं. 1 राजकुमार सांखला पुत्र रामचन्द्र सांखला जाति माली निवासी बास शेखसर ताउसर तहसील व जिला नागौर पर रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये, अप्रार्थी सं. 2 हीरालाल सोलंकी पुत्र जगदीश जाति माली निवासी जेठ का बास, चेनार तहसील व जिला नागौर तथा अप्रार्थी सं. 3 फर्म मैसर्स आरसीएस मसाला, हाउसिंग बोर्ड ताउसर रोड, नागौर पर संयुक्त रूप से रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये कुल रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)